गेहूं उपार्जन की तैयारियों के संबंध में वीसी आयोजित

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 11 मार्च। अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती रश्मि अरूण शमी द्वारा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन की तैयारियों को लेकर मंत्रालय स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न जिलों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में विभिन्न जिलों के कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया कि रबी उपार्जन हेतु पंजीयन कराए हुए किसानों का सत्यापन समय पर सुनिश्चित किया जाए तथा इस कार्य को गंभीरता से लिया जाए।

इसके साथ ही बताया गया कि उपार्जन से संबंधित बारदानों की आपूर्ति भेजी जा रही है, ताकि उपार्जन कार्य में किसी प्रकार की

बाधा न आए। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ऐसी कृषि उपज स्वीकार न की जाए, जिसमें अन्य कण पाए जाएं। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए ही गेहूं की खरीदी की जाए।

बैठक में बताया गया कि किसानों को गेहूं उपार्जन का भुगतान केवल आधार से लिंक बैंक खाते में ही किया जाएगा। इसलिए सभी पंजीकृत किसान यह सुनिश्चित करें कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो, ताकि भुगतान में किसी प्रकार की समस्या न आए।

उक्त बैठक के दौरान एनआईसी कक्ष श्योपुर में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा, एसडीएम गगन सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी फूड विजय शाक्य सहित कृषि, सहकारिता, कॉपरेटिव आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन 23 मार्च से शुरू होगा: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा ने वीसी के उपरांत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए श्योपुर जिले में बनाये गये सभी 33 उपार्जन केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें। उन्होने बताया कि गोदाम स्तर पर 20 केन्द्रों द्वारा खरीदी का कार्य किया जायेगा, जिले में गेहूं उपार्जन के लिए 18 हजार 433 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। गेहूं खरीदी 40 रूपये अतिरिक्त बोनस सहित 2625 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की जायेगी।

प्रमुख सचिव ने ली राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक, निर्देश दिए

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 11 मार्च। प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख सचिव ने राजस्व से संबंधित विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित राजस्व वसूली के प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि पटवारी ई-बस्ता के अंतर्गत प्रगति लाते हुए लैपटॉप में साइबर सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कराया जाए। साथ ही राजस्व अभिलेखों के डिजिटाइजेशन की

तैयारी रखने के निर्देश भी दिए गए।प्रमुख सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नए पात्र किसानों की केवाईसी कराने तथा योजना से संबंधित कार्यों को समयसीमा में पूरा करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा, एसडीएम गगन सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन सहित अन्य अधिकारी श्योपुर एनआईसी कक्ष से शामिल हुए।

पेयजल समस्याओं के निराकरण हेतु कन्ट्रोलरूम स्थापित

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 11 मार्च। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार पीएचई विभाग श्योपुर द्वारा ग्रीष्मकाल में पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु कन्ट्रोलरूम स्थापित किये गये है। कार्यपालन यंत्री एलपी सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय कन्ट्रोलरूम में प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा खण्ड स्तरीय कन्ट्रोलरूम में नियुक्त कर्मचारियों एवं उपयंत्रियों को सूचना प्रदान की जा सकती है।

पीएचई कार्यालय स्थित जिला स्तरीय कन्ट्रोलरूम में सहायक यंत्री आरपीएस सेगर को कन्ट्रोलरूम का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है, इसके साथ ही दो पालियों में कर्मचारियों को दायित्व सौपा गया है। प्रातः 08 बजे से दोपहर 02 बजे तक घनश्याम वर्मा मो.न. 9893938596 एवं दोपहर 02 बजे से रात्रि 08 बजे तक रामदयाल टैगोर मो.न. 9753287281 उपलब्ध रहेगे। शनिवार-रविवार एवं अन्य अवकाश के दिनो में वीरबल राजौरिया मो.न. 9827009427 सुबह 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक मौजूद रहेगे।

सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दे सकते है सूचना

पीएचई के उपखण्ड श्योपुर में श्योपुर, बडौदा तहसील के लिए बनाये गये कन्ट्रोलरूम में उपयंत्री विजय प्रजापति मो.न. 9410635887 को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा हेमंत जाधव मो.न. 9644346459 जनपद पंचायत कार्यालय श्योपुर में उपस्थित रहकर शिकायते प्राप्त करेंगे। कराहल तहसील के लिए उपयंत्री विजय प्रजापति मो.न. 9410635887 को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है तथा अनिल बंसल मो.न. 9754541609 जनपद पंचायत कराहल में उपस्थित रहकर शिकायत प्राप्त करेंगे।

इसके साथ ही विजयपुर उपखण्ड के लिए सहायक यंत्री ओपी नागर मो.न. 6265429914 को प्रभारी बनाया गया है। उपयंत्री राजेन्द्र गुप्ता को मो.न. 9827009427 सुबह 10 से शाम 06 बजे तक उप खण्ड विजयपुर के लिए बनाये गये कन्ट्रोलरूम में उपस्थित रहेंगे। हैंडपम्प टेक्निशियन बाईसराम धाकड मो.न. 9753675535 जनपद पंचायत कार्यालय विजयपुर में उपस्थित रहकर शिकायते प्राप्त करेंगे। उपयंत्री वीरेन्द्र राठौर मो.न. 7828066069 एवं हैंडपम्प टेक्निशियन कुलदीप बंसल मो.न. 9009961128 को वीरपुर तहसील क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में सूचना अथवा जानकारी दी जा सकती है। कुलदीप बंसल तहसील कार्यालय वीरपुर में उपस्थित रहकर शिकायते प्राप्त करेंगे।

नेशनल लोक अदालत के लिए समीक्षा बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 11 मार्च। माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार 14 मार्च, 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल कियान्वयन हेतु माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कपिल मेहता की अध्यक्षता में विद्युत विभाग के प्रकरणों की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में किया गया।

उक्त बैठक में विद्युत विभाग के प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किये जाने हेतु चर्चा की गई एवं संबंधित विभाग की ओर से

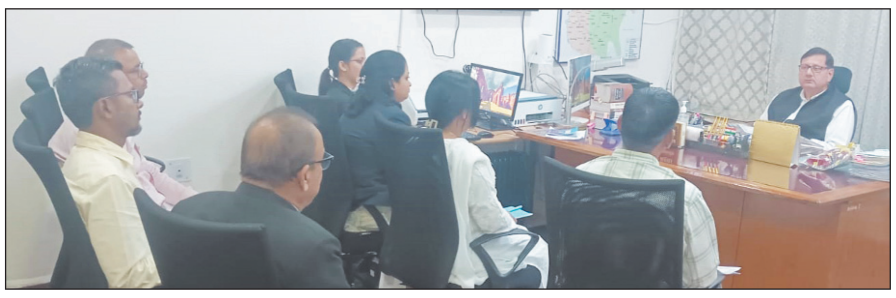

उपस्थित अधिकारियों व अधिवक्ताओं को नेशनल लोक अदालत का विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार करने के साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जिन प्रकरणों को प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकृत किया जा सकता है, उन प्रकरणों में पक्षकारों को समझौतावार्ता हेतु समय सीमा पर नोटिस जारी कर, प्रीसिटिंग के माध्यम से समझाईश दी जाए जिससे उनके प्रकरणों को न्यायालय में दर्ज होने के पूर्व नेशनल लोक अदालत में निराकृत किया जा सके। इस अवसर पर श्रीमान् कपिल मेहता, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी मजूमदार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती मनदीप कौर सेहमी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विद्युत विभाग की ओर से लक्ष्मी नारायण पाटीदार, महाप्रबंधक, मोहम्मद आसिफ इकबाल, उप महाप्रबंधक, शिवम कुमार, उप महाप्रबंधक व संबंधित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

रायपुरा में स्वास्थ्य जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 11 मार्च। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय श्योपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 06 मार्च से 12 मार्च तक गोदग्राम रायपुरा में सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शिविर के छठवें दिन स्वास्थ्य जागरूकता विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला चिकित्सालय, श्योपुर से महिला

रोग विशेषज्ञ डॉ सीमा शाक्य द्वारा महिला स्वास्थ्य जागरूकता विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए जरूरी लाइफलाइन मानसिक, सामाजिक, शारीरिक स्वास्थ्य, पर्याप्त पानी पीना, बैलेंस डाइट, मोटे अनाज को डाइट में शामिल करना, जंक फूड से दूरी, ओबेसिटी से होने वाली समस्याएं, स्वच्छता, साउंड स्लीप एवं मेडिसिन समय से लेने के प्रति छात्राओं को जागरूक किया। इसके पश्चात उन्होंने महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण डिसीज एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, मेन्यूस्ट्रल हाइजीन, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इत्यादि के शुरुआती लक्षणों के बारे में बहुत विस्तार से समझाया तथा 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को एचपीवी टीकाकरण के लिए प्रेरित करते हुए इससे होने वाले बचाव के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

बौद्धिक सत्र में एलडीएम यदुनाथ सोय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना छात्राओं को डिजिटल साक्षरता, डिजिटल अरेस्ट, नॉमिनी की जानकारी, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट एफडी, आरडी, साइबर सिक्योरिटी इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में छात्रा राजकुमारी अकोरिया, आयुषी भदौरिया ने मंच संचालन किया। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी सुश्री वेदांकी खंडेलवाल ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय से हीरा सिंह, डॉ अलंकृता साकेत एवं डॉ सरलेश मौर्य का सहयोग रहा।

तीन जीआरएस का एक-एक माह का मानदेय राजसात

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 11 मार्च। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में कम प्रगति पाये जाने पर तीन जीआरएस के विरूद्ध एक-एक माह का मानदेय राजसात करने की कार्यवाही की गई है। जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत मोरेका, धोरेरा एवं देवरी के रोजगार सहायको को कार्यो की कम प्रगति पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे, जिनके जवाब संतोषजनक नही पाये गये, जिस पर जीआरएस मोरेका देवरीशंकर रावत, धोरेरा जीआरएस रामभरत धाकड एवं देवरी जीआरएस संजय कुशवाह का नो वर्क-नो पे के आधार पर माह फरवरी-2026 का मानदेय राजसात करने की कार्यवाही की गई है।

दो उपयंत्री एवं एक एपीओ पर भी हुई कार्यवाही

इसी प्रकार ग्राम पंचायत रघुनाथपुर, श्यामपुर एवं खितरपाल पंचायतों में उनके द्वारा गत 11 फरवरी को निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों तथा कार्यो में प्रगति लाने के लिए दो उपयंत्रियों तथा एपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे, जिसके जवाब समाधानकारक नही पाये जाने पर एपीओ मनरेगा जनपद विजयपुर सुनील कुमार पिप्पल, उपयंत्री सीएफ्टी रघुनाथपुर रामनिवास धाकड एवं उपयंत्री सीएफ्टी खितरपाल शरद उचारिया का मार्च माह में 10 दिवस का मानदेय राजसात करने की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार रोजगार सहायक ग्राम पंचायत रघुनाथपुर अंकित गर्ग के विरूद्ध भी मार्च माह में 10 दिवस का मानदेय राजसात करने की कार्यवाही की गई है।

समूह उत्पादों को बढावा देने अभिनव पहल

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 11 मार्च। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद द्वारा वोकल फॉर लोकल पॉलिसी अंतर्गत स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाये जा रहे उत्पादों को बढावा देने के उद्देश्य से अभिनव पहल करते हुए सेनेट्री उत्पादों तथा मसालों का उपयोग मध्यान्ह भोजन योजना में संलग्न समूहों एवं जिले में संचालित विभिन्न छात्रावासों में किये जाने जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है।

सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद ने शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग तथा सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि छात्रावासों में उपयोग होने वाले सर्फ, साबुन, हैंडवाश, टायलेट क्लीनर, फिनाइल का क्रय एनआरएलएम अंतर्गत संचालित स्वसहायता समूहों से की जायें। इसी प्रकार समूहों द्वारा उत्पादित एवं निर्मित मसालों जैसे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर तथा शहद और सहजन पाउडर (सेजने की फली से निर्मित पाउडर) का क्रय किया जाये, जिससे समूह की महिलाओं को न केवल बाजार की उपलब्धता होगी, बल्कि उनके उत्पादों का विक्रय बढेगा और उनके द्वारा की जा रही आजीविका मूलक गतिविधियों को गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि एनआरएलएम अंतर्गत संचालित महिला स्वसहायता समूहों द्वारा विभिन्न आजीविका गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न मसालों के पाउडर बनाकर उनकी पैकिंग कर विक्रय किया जा रहा है। इसके साथ ही सेनेट्री उत्पादों, पापड, अचार, सजावटी सामग्री, अगरबत्ती आदि उत्पाद बनाये जा रहे है। डीपीएम एनआरएलएम सोहनकृष्ण मुदगल ने बताया कि समूह द्वारा निर्मित उत्पाद पूरी तरह से शुद्ध और गुणवत्तायुक्त होते है तथा उचित दामो पर इन्हे उपलब्ध कराया जा रहा है।

सीईओ ने किया वनस्टॉप सेंटर सहित डीईओ एवं आयुष कार्यालय का निरीक्षण

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 11 मार्च। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद द्वारा आज जिला

हजारेश्वर विद्यालय में परीक्षाओं का अवलोकन भी किया

चिकित्सालय परिसर स्थित वनस्टॉप सेंटर सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं आयुष कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही उन्होंने शासकीय श्री हजारेश्वर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित कक्षा 9 एवं कक्षा 11

की परीक्षाओं का अवलोकन भी किया गया।

सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद द्वारा वनस्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान महिलाओं को उपलब्ध कराये जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली गई तथा रिकार्ड रजिस्टरो का अवलोकन किया गया। इसी

प्रकार डीईओ कार्यालय में निरीक्षण के दौरान विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया गया और डीईओ कार्यालय एवं आयुष कार्यालय के लिए पहुंच मार्ग के निर्माण के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान डीईओ एमएल गर्ग, सहायक संचालक यश जैन, आयुष अधिकारी डॉ जीपी वर्मा मौजूद रहें।

शस्त्र लाईसेंस के लिए आवेदन अब ऑनलाइन प्रणाली से

श्योपुर, 11 मार्च। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशो के तहत अब समस्त प्रकार के नवीन शस्त्र लाईसेंस ऑनलाइन प्रणाली के तहत ही प्राप्त किये जायेगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि नवीन शस्त्र लाईसेंस आवेदन ऑनलाइन पब्लिक पोर्टल ीजजचरूध्ध्दकंस-ंसपे.हवअ.पद के माध्यम से एनडीएल-एएलआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन प्रणाली के तहत ही प्राप्त किये जायेगे तथा ई-फाइल क्रमांक उपलब्ध होने पर ही प्रकरण पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

जागरूकता रथ व बाईक रैली का आयोजन

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 11 मार्च। माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु आमजन में प्रचार-प्रसार किये जाने के उद्देश्य से माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मेहता द्वारा जिला न्यायालय परिसर से जागरूकता रथ एवं बाईक रैली को हरी इण्डी दिखाकर रवाना किया गया।

उक्त आयोजित रैली न्यायालय परिसर से प्रारंभ होकर गुलम्बर, नगर पालिका से विभिन्न सार्वजनिक मार्गो से होती हुई यातायात पुलिस थाने पर समाप्त की गई। बाईक रैली में यातायात विभाग, पुलिस विभाग, अभियोजन विभाग, विद्युत विभाग, नगर पालिका परिषद, पैरालीगल वालेंटियर्स, एवं लीगल एड डिफेंस काउसेल्स द्वारा सहभागिता की गई।

उक्त कार्यक्रम में जिला मुख्यालय में पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विद्युत विभाग के अधिकारीगण, सचिव जिला अभिभाषक संघ, श्योपुर, यातायात विभाग, पुलिस विभाग के कर्मचारीगण, पैरालीगल वालेंटियर्स, लीगल एड डिफेंस काउसेल्स, नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारीगण व पैनल अधिवक्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

शांति समिति की बैठक 16 को

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 11 मार्च। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में 16 मार्च को प्रातः 11.30 बजे से कलेक्टेड्ट सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। डिप्टी कलेक्टर संजय जैन ने बताया कि ईद-उल-फित्तर एवं रामनवमी सहित अन्य त्यौहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में संबंधित विभागो के अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे।

सड़क सुरक्षा समिति की भी बैठक

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 11 मार्च। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा की अध्यक्षता में सडक सुरक्षा समिति की बैठक 16 मार्च को दोपहर 02 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग पुष्कल प्रताप सिंह ने बताया कि बैठक में गुड सेमेरिटन एवं हिट एण्ड रन प्रतिकर योजना, जिले में चिन्हित ब्लैक स्पोट के सुधार, 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के वाहन चालको के नेत्र परीक्षण हेतु शिविरों के आयोजन आदि विषयों पर चर्चा की जायेगी।

राजस्व न्यायालयों में ऑपरेटर के 770 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 11 मार्च। मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल द्वारा राजस्व न्यायालयों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 770 पदो पर भर्ती निकाली गई है, इसके लिए पात्र आवेदक 03 अप्रैल तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन की प्रक्रिया 05 मार्च से शुरू हो चुकी है। वेबसाइट पर जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार इन पदो के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वी परीक्षा उतीर्ण होने के साथ ही सीपीसीटी परीक्षा पास होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष नियत है। इच्छुक पात्र आवेदक अपने आवेदन 03 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम

3 अप्रैल तक ऑनलाइन किये जा सकते है आवेदन

से भर सकते है। भरे गये फार्मो में त्रुटि सुधार के लिए 4 अप्रैल तक की तिथि नियत की गई है। अधिक जानकारी के लिए पोर्टल पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।